न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

निर्णय द्वारा अध्यासित आनन्दी आई.ए.एस

प्रकरण संख्या **68/2018** अपील (राजस्व)

1. श्रीमती वेसुडी पत्नी श्री नाथू मीणा, निवासी हीरावतों का फला, बारापाल, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

—— अपीलान्ट/प्रार्थीया

बनाम

1. श्री मावा पिता श्री नाथु मीणा,
2. श्री लालु मीणा पिता श्री रामा मीणा,
3. श्री फूला मीणा पिता श्री रामा मीणा,
4. श्री कालुलाल पिता श्री रामा मीणा,
5. श्री नाथु पिता होमा जी मीणा
   निवासीयान हीरावतों का फला, बारापाल, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
6. सरकार जरिये उप तहसीलदार साहब, बारापाल, तहसील गिर्वा उदयपुर (राज.)

—— रेस्पोडेन्टगण

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956
अपील विरूद्ध बनाराजगी निर्णय व आदेश बन्यायालय उप तहसीलदार बारापाल, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर नामान्तकरण संख्या 611 स्वीकृत दिनांक 15.10.2001

उपस्थित : श्री सुभाष श्रीमाली, अधिवक्ता अपीलान्ट
श्री विकास जोशी, अधिवक्ता विपक्षी सं.1 से 3, 5

निर्णय

दिनांकः–30.01.2020

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट्स द्वारा उप तहसीलदार बारापाल द्वारा पारित नामा.सं. 611 दिनांक 15.10.2001 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट सं. 4 व 5 व मृतका श्रीमती होमली पत्नी होमा मीणा ने मिलकर होमा पिता श्री देवा मीणा से जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 18.04.83 को गत बन्दोबस्त के आराजी

नं. 1828 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा क्रय की तब से अपीलान्ट का रेस्पोडेन्ट सं. 4 व 5 का कब्जा चल रहा है व उपयोग/उपभोग कर रहे है। क्रय भूमि का नामानतकरण सं. 1594 दिनांक 07.07.83 से स्वीकृत हुआ। उक्त भूमि की नवीन आराजी नं. 8521 रकबा 0.2100 हैक्टयर बना। अपीलान्ट के गांव में ही एक अन्य महिला श्रीमती वेसुडी पत्नी नाथू मीणा थी। जिसकी मृत्यु हो गईं। इसी दरमियान होमली पत्नी होमा की भी मृत्यु हो गई। जो कि रेस्पोडेन्ट सं. 5 की माता तथा अपीलान्ट की सास है। होमली की मृत्यु हो जाने से उसके हिस्से का नामान्तकरण रेस्पोडेन्ट सं. 5 नाथु पिता होमा के बजाय प्रशासन गांव के संग वेसुडी पत्नी नाथु मीणा के दो पुत्र मृतक रामा व रेस्पोडेन्ट सं.1 मावा के नाम दिनांक 15.10.2001 को नामान्तकरण स्वीकृत कर लिया गया। वर्तमान में रामा की मृत्यु हो जाने से उसके दो पुत्र क्रमशः रेस्पोडेन्ट सं.2 लालु व रेस्पोडेन्ट सं. 3 फूला को इस अपील में पक्षकार बनाया गया। दिनांक 08.10.18 को पटवारी हल्का के पास में जमाबन्दी की नकल लेने हेतु गई तो उक्त जानकारी ध्यान में आयी। ध्यान होते ही राजस्व रेकार्ड की नकले प्राप्त कर यह अपील प्रस्तुत की जा रही है। अतः अपील स्वीकार फरमायी जाकर नामान्तकरण सं. 611 स्वीकृत दिनांक 15.10.01 को आंशिक रूप से खारीज फरमाया जाकर रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 व 3 के पिता का नाम राजस्व रेकार्ड से हटाया जाकर अपीलान्ट का नाम दर्ज फरमाये जाने के आदेश प्रदान किये जावे।

अपने अपील मेमो के साथ में एक प्रार्थनापत्र धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट को सर्वप्रथम दिनांक 08.10.18 को जमाबन्दी की नकल प्राप्त की तो हुआ जिस पर दिनांक 15.10.18 को सम्पूर्ण नकले प्राप्त कर यह अपील प्रस्तुत की जा रही है। अतः दिनांक 15. 10.01 से लेकर 15.10.18 तक की अवधि को कण्डोन फरमाई जाने का आदेश प्रदान करें।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेंटगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेंट संख्या 1, 2 व 3 द्वारा उपस्थित होकर

अपने अधिवक्ता के मार्फत इकबालिया जवाब प्रस्तुत कर अपील को स्वीकार किया गया है।

प्रकरण में उभयपक्ष को सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 3 द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि उक्त आराजी पिता के नाम गलत स्वीकृत की गई है। अपीलान्ट जिन्दा है। वेसुडी की मृत्यु हुई है। इस भूमि पर कभी हमारा कब्जा नहीं रहा है। नामान्तकरण खारीज करने पर कोई आपत्ति नहीं है। राजस्व रेकार्ड में अपीलान्ट का नाम दर्ज करे तो कोई आपत्ति नहीं है। बहस पर मनन करने के उपरान्त न्यायालय का मत है कि हस्तगत प्रकरण में एक ही गांव में एक ही वल्दीयत के अलग–अलग दो नाम होने से विरासत से मृतक वल्दीयत के व्यक्ति के वारिसानों के नाम जीवित अपीलान्ट की भूमि दर्ज हो गई। इसी प्रकार होमली पत्नी होमा मीणा की भूमि भी रेस्पोडेन्ट के नाम गलत दर्ज हो गई है, जो भी अपीलान्ट के नाम दर्ज होनी चाहिए, क्योंकि उक्त भूमि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 4 व 5 व होमली पत्नी होमा मीणा द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र से क्रय की गई है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर अपीलीय नामान्तकरण 611 मौजा बारापाल दिनांक 15.10.01 खारीज किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार बारापाल को इन निर्देशों के साथ में पुनः प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उक्त नामान्तकरण में होमली पत्नी होमा व श्रीमती वेसुडी पत्नी नाथु मीणा के विधिक वारिसानों की जांच पुनः की जाकर नये सिरे से इनके विधिक वारिसानों के नाम नामान्तकरण पारित करते हुये शेष खातेदारों के नाम यथावत रखें जाये।

निर्णय की प्रति उप तहसीलदार बारापाल को वास्ते पालनार्थ प्रेषित हो। बाद कार्यवाही न्यायालय को की गई कार्यवाही से अवगत करावें।

पत्रावली फैसल शुमार हों। बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हों।

(आनन्दी)
जिला कलक्टर
उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Anandhi Palaniswamy
Date: 2020.03.18 16:33:43 IST
Reason: SelfAttested
Location: